दिनांक–15.07.2016 को प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में अपर समाहर्त्ताओं के साथ सम्पन्न विभागीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– यथापंजी अनुसार।

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया।

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में अपर समाहर्त्ताओं के साथ विभागीय समीक्षात्मक परिचर्चा एवं बैठक की कार्यवाही के क्रियान्वयन की समीक्षा की गयी।

1. **अभियान भूमि दखल–देहानी** :– इस अभियान की गहन समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि जिले में कैम्प का आयोजन टीक ढ़ंग एवं समयानुसार नहीं किया जा रहा है। बैठक में उपस्थित सभी अपर समाहर्त्ताओं को निदेशित किया गया कि अपने–अपने जिले में अंचलाधिकारियों को निदेशित करें एवं समय–समय पर तिथि निर्धारित करते हुए कैम्प का आयोजन करावें साथ ही यह भी कहा गया कि जहाँ बेदखली के मामले शून्य हैं वहाँ ऐसा माना जायेगा कि वहाँ कैम्प का आयोजन सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। इस पर विशेष ध्यान दिया जाय।

इस सम्बन्ध में नालन्दा एवं पटना का कार्य संतोषप्रद पाया गया। निदेश दिया गया कि इस कार्य को और भी अच्छा किया जाय।

(कार्रवाई–प्रशाखा पदाधिकारी – 7/8 एवं सभी जिला)

2. **अभियान बसेरा** :– इस अभियान की गहन समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान सभी अपर समाहर्ताओं को निदेशित किया गया कि महादलित विकास योजना/गृहस्थल योजना एवं संपर्क सड़क योजना में जो भी राशि आपको उपलब्ध करायी गयी है एवं उपलब्ध करायी गयी राशि के विरूद्ध कितनी राशि से जमीन का क्रय किया गया एवं कितने को लाभान्वित कराया गया सभी का योजनावार प्रतिवेदन वेबसाईट पर अपलोड करने का निदेश दिया गया।

साथ ही समीक्षा के दौरान यह भी पाया गया कि वैशाली, मुंगेर, कैमूर, जहानाबाद, जमुई, भागलपुर, बाँका, अररिया जिला को छोड़कर किसी भी जिलें में सर्वेक्षण का कार्य नहीं किया गया है तो काफी असंतोष का विषय है। निदेश दिया गया कि सर्वेक्षण के कार्य पर विशेष ध्यान दिया जाय।

(कार्रवाई–प्रशाखा पदाधिकारी – 7 एवं सभी जिला)

3. **दाखिल–खारिज** :– समीक्षा के दौरान पाया गया कि पूरे बिहार में 11 अंचल ऐसे है जहाँ कि एक भी दाखिल–खारिज R.T.P.S Counter के अन्तर्गत नहीं किया गया है। बल्कि कैम्प दिखाकर हाथों हाथ दाखिल–खारिज का कार्य किया गया है। ऐसे अंचलों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

इस सम्बन्ध में सभी अपर समाहर्त्ताओं को निदेशित किया गया कि दाखिल–खारिज के अभिलेखों की जाँच करें क्योंकि ऐसे भी प्रकाश में आता है कि मामलें को

निष्पादित बता देते है लेकिन वास्तविक रूप से 4–5 माह से आवेदन लंबित रहता है। साथ ही अगर विवाद है तो किस **Nature** का विवाद है, इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाय। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि लदावी के आधार पर दाखिल–खारिज का कार्य नहीं होता है। इसे ध्यान में रखा जाय।

(कार्रवाई–प्रशाखा पदाधिकारी – 9 एवं सभी जिला)

4. **न्यायालय** :– समीक्षा के दौरान पाया गया कि सी0डब्लु0जे0सी0 के मामले में अरवल–3, भोजपुर–10, दरभंगा–21, कैमूर–1, कटिहार–8, खगड़िया–10, लखीसराय–2, मधेपुरा–11, मुधबनी–16, मुंगेर–9, नवादा–5, पटना–55, पूर्णिया–25, सहरसा–12, समस्तीपुर–17, सारण–10, शेखपुरा–2, शिवहर–3, सीतामढ़ी–16, सुपौल–14, वैशाली–12, प0 चम्पारण–5 मामले लंबित है। निदेश दिया गया कि अविलम्ब प्रति शपथ पत्र दायर किया जाय। इसी तरह एम0जे0सी0 में अररिया, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णियाँ, सहरसा, शेखपुरा, सीतामढ़ी, सुपौल में मामला लम्बित पाया गया निदेश दिया गया कि प्राथमिकता के आधार पर कारण पृच्छा दायर किया जाय। इसी तरह एल0पी0ए0 में जिस जिले में जो भी मामले लंबित है। अगले माह में हर हाल में प्रतिशपथ पत्र एवं कारण पृच्छा दायर कर करने का हिदायत दी गयी।

(कार्रवाई–प्रशाखा पदाधिकारी – 11 एवं सभी जिला)

5. **AC/DC Bill** :– समीक्षा के दौरान बताया गया कि अधिकांश जिले में ए0सी0/डी0सी0 बिल लम्बित है। निदेश दिया गया कि लम्बित ए0सी0/डी0सी0 बिल को अविलम्ब समायोजित किया जाय।

(कार्रवाई–प्रशाखा पदाधिकारी – 5 एवं सभी जिला)

6. **विभागीय कार्यवाही** :– समीक्षा के दौरान निदेश दिया गया कि चाहे जिस कारण से विभागीय कार्यवाही चल रहा हो कार्य को पूर्ण करायी जाय साथ ही आरोप प्रमाणित होता है तो अविलम्ब प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय।

(कार्रवाई– निगरानी कोषांग एवं सभी जिला)

7. **National Population Register (NPR)** :– इस सम्बन्ध में बताया गया कि **NPR** का कार्य 31 जनवरी, 2016 से शुरू किया गया है। जिसे अब तक पूर्ण नहीं किया गया है। जिलावार समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि सबसे अच्छा कार्य खगड़िया जिला जहाँ कि 99.2% पूर्ण कर लिया गया है।

समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि कुछ जिले से उपयोगिता प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है निदेश दिया गया कि जिन–जिन जिलों ने उपयोगिता प्रमाण–पत्र नहीं भेजे है जल्द ही अलग–अलग उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध करा दें।

(कार्रवाई– प्रशाखा पदाधिकारी–4 एवं सभी जिला)

8. **जनगणना 2011** :– समीक्षा के क्रम में यह निर्णय लिया गया कि अनुमंडल स्तर पर भी प्रशिक्षण का कार्य पूर्ण कर लिया जाय साथ ही 4 जिले यथा शिवहर /सारण /बाँका /

किशनगंज प्रपत्र का फार्म प्राप्त अबतक नहीं किये है। निदेश दिया गया कि अविलम्ब प्रपत्र का फार्म उठाव कर लें एवं प्रथम चरण 01.07.2016 से 30 सितम्बर, 2016 तक इस कार्य को पूर्ण कराया जाय।

(कार्रवाई– प्रशाखा पदाधिकारी–4 एवं सभी जिला)

9. **सेवान्त लाभ :–** बैठक में बताया गया कि मुख्य सचिव बिहार की अध्यक्षता में Empower Committee की बैठक प्रत्येक माह समीक्षा की जाती है, सेवान्त लाभ से संबंधित प्रतिवेदन नियमित रूप विभाग को उपलब्ध कराये जाय।

(कार्रवाई–प्रशाखा पदाधिकारी –4 एवं सभी जिला)

10. <u>राजस्व ग्रामों की सूची/संख्या का अद्यतीकरण :–</u>

दिनांक 11.07.2016 को आयोजित विडियो कान्फ्रेंसिग के माध्यम से राजस्व ग्रामों की सूची/संख्या का सत्यापन/अद्यतीकरण एन0आई0सी0, पटना द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर के माध्यम से करने का निदेश सभी अपर समाहर्त्ता को दिया गया था। बैठक में सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप द्वारा मौजा अद्यतन के संबंध में समीक्षा किया गया तथा पुनः सभी अपर समाहर्त्ता को एक सप्ताह के अन्दर राजस्व ग्रामों की सूची/संख्या का सत्यापन/अद्यतीकरण कर निदेशालय को सूचित करने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई–प्रशाखा पदाधिकारी –भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय एवं सभी जिला)

11. <u>भू–अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण योजना :–</u>

भू–अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण योजना के अन्तर्गत कुल 26 जिलों का डाटा विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित कर दिया गया है। 12 जिला यथा खगड़िया, पूर्णियाँ, पूर्वी चम्पारण, गोपालगंज, गया, अरवल, औरंगाबाद, सीतामढ़ी, बांका, समस्तीपुर एवं सहरसा का डाटा विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित नहीं किया गया है। बैठक में निदेश दिया गया कि इन जिलों द्वारा अंचलवार उक्त योजना के अन्तर्गत डाटा इन्ट्री कर डाटा सी0डी0 निदेशालय के माध्यम से एन0आई0सी0 को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु उपलब्ध कराया जाए।

बैठक में सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप इस योजना के अन्तर्गत पंचशील सॉफ्टवेयर, भोपाल द्वारा किए गए कार्यों के आलोक में भुगतान एजेंसी द्वारा किये गये एकरारनामा के शर्त्तों के अनुसार शीघ्र करने का निदेश दिया गया।

भारत सरकार द्वारा इस योजना को शीघ्र पूरा करने का निदेश दिया गया है। अतएव भू–अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण योजना का कार्य विशेष ध्यान देते हुए प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा करने का निदेश दिया गया।

पटना जिला को उक्त योजना से संबंधित 25 बिन्दु चेकलिस्ट (पत्रांक–143 दिनांक 28.01.2015) शीघ्र उपलब्ध कराने का निदेश पुनः दिया गया।

निदेशालय के पत्रांक–1992 दिनांक 10.11.2015 के अनुपालन में उक्त योजना से संबंधित वित्तिय प्रतिवेदन सारण, भागलपुर, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया, सिवान, कटिहार, पूर्वी चम्पारण, प0 चम्पारण, वैशाली, शिवहर एवं सहरसा जिलों द्वारा प्रतिवेदन अप्राप्त है। उक्त के आलोक में प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

इस योजना से संबंधित जिला कार्यान्वयन समिति की बैठक एक सप्ताह के अन्दर आयोजित कर बैठक की कार्यवाही निदेशालय को उपलब्ध कराया जाए।

(कार्रवाई–प्रशाखा पदाधिकारी –भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय एवं सभी जिला)

12. डाटा केन्द्र–सह–आधुनिक अभिलेखागार भवन निर्माण :–

केन्द्र प्रायोजित योजना NLRMP के अन्तर्गत डाटा केन्द्र–सह–आधुनिक अभिलेखागार भवन का निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा कराया जा रहा है। भवन निर्माण विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार राज्य के कुल 300 अंचल कार्यालयों में उक्त भवन निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा 35 अंचलों में स्थल अनुपलब्धता के कारण भवन निर्माण कार्य बाधित है। भवन निर्माण विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार निम्न जिलों में निम्न प्रकार स्थल समस्या है :–

जिला का नाम	अंचलों की संख्या	अंचल का नाम
सारण	03	इसुआपुर, मकेर, रिविलगंज
भागलपुर	01	इस्माईलपुर
बेगुसराय	01	वीरपुर
खगड़िया	01	मानसी
मोतिहारी	02	पिपराकोठी एव संग्रामपुर
पटना	08	बेलछी, घोषवरी, दुल्हिन बाजार, पटना सदर, संपतचक, बिहटा, मनेर, विक्रम, खुसरूपुर
बक्सर	01	चौगाई
सहरसा	02	बनमा ईटहरी, सतरकटैया
मधेपुरा	01	बिहारीगंज
सुपौल	01	प्रतापगंज
वैशाली	01	बेलसर
अरवल	01	कलेर
गया	01	गुरारू
दरभंगा	02	दरभंगा सदर, अलीनगर
मधुबनी	03	रहिका, राजनगर, बिसफी, मधेपुर
समस्तीपुर	05	ताजपुर, विद्यापतीनगर, मोहनपुर, शिवाजीनगर, कल्याणपुर
सीतामढ़ी	01	चोरौत
कुल – 17 जिला	35 अंचल	

डाटा केन्द्र–सह–आधुनिक अभिलेखागार भवन निर्माण के उपरान्त भवन प्राप्त करने हेतु विहित प्रपत्र में **Building Take Over** कर इसकी सूचना निदेशालय को उपलब्ध कराया जाय।

(कार्रवाई–प्रशाखा पदाधिकारी –भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय एवं सभी जिला)

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ई–मेल
फैक्स

ज्ञापांक–10 / सम0अ0स0(बैठक)कार्यवाही–43 / 2014– 279–(1) **/रा0,पटना–15, दिनांक** 5/8/2016

प्रतिलिपि :– सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी समाहर्त्ता / माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव / सभी विभागीय पदाधिकारीगण / सभी प्रशाखा पदाधिकारीगण, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/8/2016

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव।